न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 82 / 2017 / अपील / एल.आर.एक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 25.7.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामचरण आत्मज छीतरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोरूकंला तहसील कनवास जिला कोटा। ... अपीलाट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज रामप्रताप जाति गूजर निवासी ग्राम ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कनवास। ... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 11.7.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 21 / 16 / एलआर / वसीयत / बउनवान हीरालाल बनाम रामचरण वगेरा वसीयत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 13.6.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि हीरालाल पुत्र कृष्णगोपाल जाति गूजर निवासी ढोटी ने अधीनस्थ न्यायालय मे खातेदार कृष्णगोपाल की माल ढोटी मे स्थिति आराजी ख0 नं0 1523 रकबा 1.86 है0 खातेदार कृष्णगोपाल द्वारा अपने जीवनकाल मे उसके पक्ष मे दिनांक 6.5.2014 को तहरीर की गई वसीयत के आधार पर व मृतक खातेदार कृष्णगोपाल का दत्तक पुत्र होने उक्त वर्णित आराजी का फौती नामान्तरकरण उसके नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार कनवास के यहां प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार कनवास ने प्रार्थी हीरालाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 13.6.2017 से स्वीकार कर ग्राम ढोटी तहसील कनवास स्थित ख0 नं0 1523 की 1.86 है0 आराजी मे मृतक वसीयतकर्ता स्व0 कृष्णगोपाल पुत्र नारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम ढोटी तहसील कनवास के स्थान पर हितग्राही हीरालाल पुत्र कृष्णगोपाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट रामचरण ने अपील न्यायालय हाजा मे इस अशय की पेश की गई कि तहसीलदार कनवास का आदेश कानून न्याय एव तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार श्रीकृष्ण गोपाल का फोती नामान्तरकरण रेस्पो0 क्रम–1 हीरालाल के पक्ष मे खोलने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। कृष्ण गोपाल आ0 नारायण के खाते मे उक्त वर्णित भूमि स्थित है कृष्णगोपाल का दिनांक 3.8.2016 को देहावसान हो गया है वह अविवाहित फौत हुये है तथा उनके कोई औलाद नही थी उन्होने अपने जीवनकाल मे किसी को गोद नही लिया ना ही अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया उन्होने दिनांक 6.5.2014 अथवा कभी भी रेस्पो0 हीरालाल के पक्ष मे कभी कोई वसीयत तहरीर नही करी।

कृष्णगोपाल रिश्ते मे प्रार्थी के काका लगते थे मुताबिक पारिवारिक सजरा अपीलांट एवं अपीलांट की बहिने पप्पूबाई एवं लाडबाई ही वर्तमान मे कृष्णगोपाल की वारिस एवं उत्तराधिकारी है। कृष्णगोपाल वृद्ध होने पर अपीलांट की पास ही रहे एवं अपीलांट ने ही सेवा सुश्रुसा की थी इसकी पुष्टि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये गये राशन कार्ड की कॉपी से भी होती है। रेस्पो0 क्रम–1 ने ना तो गोद साबित करवाया और न वसीयत साबित करवाई है वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय को गोद अथवा वसीयत साबित करने का कोई अधिकार नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हीरालाल के पक्ष मे नामा0 खोलने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 हीरालाल उनके यहां हाली का काम करता था उसका कृष्णगोपाल से किसी प्रकार का रिश्ता नही है। कानूनन नामान्तरकरण मृतक के वारिसान के नाम ही तस्दीक किया जाना चाहिये प्राकृतिक उत्तराधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मृतक का अपने आपको उत्तराधिकारी होना बताता है तो उसे सक्षम न्यायालय से इस बावत घोषणा करवाना चाहिये। नामा0 की कार्यवाही यह प्रश्न तय नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा मृतक खातेदार कृष्णगोपाल के खाते की भूमि उनके प्राकृतिक उत्तराधिकारी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार कृष्णगोपाल दिनांक 3.8.2016 को फौत हुये है। रेस्पो0 क्रम–1 ने मृतक का गोदपुत्र होने के आधार पर मृतक खातेदार की ग्राम ढोटी स्थिति आराजी को अपने नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया। अपीलांट ने इसकी अधीनस्थ न्यायालय मे आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि वह मृतक कृष्णगोपाल के भतीजे है जो उनके प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य रेकार्ड पर होते हुये भी वसीयत/गोदपुत्र के आधार पर उक्त आराजी रेस्पो0 क्रम–1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है क्योंकि कानूनन नामान्तरकरण मृतक के वारिसान के नाम ही तस्दीक किया जाना चाहिये प्राकृतिक उत्तराधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मृतक का अपने आपको उत्तराधिकारी होना बताता है तो उसे सक्षम न्यायालय से इस बावत घोषणा करवाना चाहिये। नामा0 की कार्यवाही यह प्रश्न तय नही किया जा सकता। बहस मे आगे बताया कि कृष्णगोपाल वृद्ध होने पर अपीलांट की पास ही रहे एवं अपीलांट ने ही सेवा सुश्रुसा की थी इसकी पुष्टि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये गये राशन कार्ड की कॉपी से भी होती है। रेस्पो0 क्रम–1 ने ना तो गोद साबित करवाया और न वसीयत साबित करवाई है वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय को गोद अथवा वसीयत साबित करने का कोई अधिकार नही है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2002(1) पेज 77, आरआरटी 2003(2) पेज 870, डीएनजे 2016 (1) पेज 205, सीडीआर(रेवेन्यू) 2017 पेज 28 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक अभिभाषक रेस्पो0–1 ने बहस मे कथन किया कि सारी आपत्तियां अपील मेमो मे नही है जिरह का अवसर नही दिया, ऐसे तथ्य भी अपील मेमो मे नही है। प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने का जहां तक अपीलांट का तर्क है अपने बयान, गवाहो व दस्तावेज से साबित नही कराया है। जहां तक राशन कार्ड होने का कथन है कृष्णगोपाल अपीलांट का काका के अपीलांट के पास रहने के कोई सबूत/दस्तावेज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो/दस्तावेजात की जांच कर हुक्म जेरअपील पारित किया है। जहां तक नामा0 की कार्यवाही सक्षिप्तं कार्यवाही होने का अपीलांट का कथन है प्रश्नगत प्रकरण मे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने गोद के प्रश्न को निर्णित नही किया है तहसीलदार ने जांच कर वसीयत के आधार पर वास्तविक हितग्रहिता के पक्ष मे विवादित आराजी को दर्ज करने का आदेश पारित किया है। हीरालाल रेस्पो0 क्रम–1 बाल्यकाल से ही कृष्णगोपाल के पास रहा है जिसकी पुष्टि सन् 1972 की टीसी मे पिता का नाम कृष्णगोपाल तथा मतदाता सूची, शोक संदेश, बिल, बैंक खाता तथा राशनकार्ड मे कृष्णगोपाल का नाम दर्ज होने से होती है। जहां तक वसीयत की प्रमाणिकता है प्रश्न है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो मे प्रकट किये गये अभिमत अनुसार तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे निहित प्रावधान अनुसार वसीयतग्रहिता को कार्यवाही की आवश्यकता नही है यदि अपीलांट को वसीयत से किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह उसको सक्षम न्यायालय मे चुनोती देने के लिये स्वतंत्र

है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरसी 1991 पेज 289 एवं राविरा अंक 82 मे वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के संबध मे जारी परिपत्र 18.2.1998 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गोर किया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 13.6.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार कृष्णगोपाल द्वारा अपने जीवनकाल मे हीरालाल के पक्ष मे दिनांक 6.5.2014 को तहरीर की गई वसीयत के गवाह घनश्याम व रामकुंवार के बयानो से वसीयतनामा की सत्यता प्रमाणित होने तथा अपीलांट/रामचरण अपने पक्ष को साबित करने मे सफल नहीं रहने बल्कि रेस्पो0 क्रम–1 हीरालाल अपने दस्तावेजो व प्रस्तुत साक्ष्य से अपने प्रार्थना पत्र व वसीयत की सत्यता को प्रमाणित करने मे सफल रहने पर उपलब्ध दस्तावेजात, बयानात इत्यादि की गहनतापूर्ण अवलोकन कर रेस्पो0 क्रम–1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 6.5.2014 राजस्व रिकार्ड मे मृतक वसीयतकर्ता कृष्णगोपाल के स्थान पर हितग्राही हीरालाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश/निर्णय दिनांक 13.6.2017 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित होना प्रकट नही होता है क्योंकि आसामीय अधिकारों के अवतरण के संबध मे राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 मे वसीयत के संबध मे निहित प्रावधान अनुसार **"खातेदार आसामी अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है"**। प्रश्नगत प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.6.2017 मे गोद के प्रश्न को निर्णित नहीं किया है बल्कि मृतक खातेदार द्वारा तहरीर की गई वसीयत दिनांक 6.5.2014 की प्रमाणिकता गवाहान एवं दस्तावेज से सिद्ध होने पर हितग्राही हीरालाल का नाम बतोर खातेदार दर्ज करने का निर्णय पारित किया है। अतः उक्त विवेचित विधिक प्रावधान के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2002(1) पेज 77, आरआरटी 2003(2) पेज 870, डीएनजे 2016 (1) पेज 205, सीडीआर(रेवेन्यू) 2017 पेज 28 प्रश्नगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। फलत् उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार हस्तक्षेप की गुंजाइश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 11.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा